ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्र जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक व तकनीकी उच्च शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं उनके लिए निगम शिक्षा ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें ।

योजना की मुख्य विशेषतायें:-

(क) योजना:

1) मैट्रिक स्तर के ऊपर व्यवसायिक एवं तकनीकी विषयों में मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना ।

2) ऋण सीमा:- : 5 वर्ष के अध्ययन के लिए अधिकतम ऋण रु0 75,000/-रू0

3) ब्याज दर : ब्याज मुक्त

4) अनुमोदित विषय/कोर्स (व्यवसायिक एवं तकनीकी) : एम0बी0बी0एस0,एम0डी0,एम0एस0, जी0ए0एम0एस0,नर्सिंग,एल0एल0बी0 पी0एच0डी0,बी0एड,जे0बी0टी0, तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री,होटल मैनेजमैन्ट,पायलट प्रशिक्षण, कृषि बागवानी में स्नातकोत्तर अध्ययन इत्यादि ।

(ख) वित्तीय स्त्रोत: हि0प्र0 अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति विकास निगम ।

(ग) पात्रता:

1) आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता हो व हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो ।

2) परिवार की वार्षिक आय रु0 1,00,000/-रू0 से कम हो ।

3) मान्य प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हो ।

4) वित्तीय संस्थाओं का ऋण दोषी न हो ।

शिक्षा ऋण योजना (एनएसएफडीसी/(एनएसटीएफडीसी) ।

निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों/छात्राओं जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए शिक्षा ऋण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुमोदित व्यवसायों में ऋण प्रदान करवाता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके ।

योजना की मुख्य विशेषताएँ ।

क्र0सं0	विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i)	ऋण सीमा अधिकतम	मु0 10.00 लाख रूपये	मु0 5.00 लाख रूपये
(ii)	ब्याज दर	4/ वार्षिक महिलाओं के लिए 0.5/की ब्याज में छूट	6/ वार्षिक
(iii)	ऋण अदायगी अवधि	मु0 7.50 लाख रूपये तक = 10 वर्ष मु0 7.50 लाख रूपये से अधिक 10.00 लाख रू0 तक = 15 वर्ष	5 वर्ष
(iv)	वित्तीय स्रोत	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।
(v)	पात्रता	1) परिवार की वार्षिक आय सीमा:-	
		क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रू0	क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 98,000/-रू0
		ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रू0	ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,20,000/-रू0
		2) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए । 3) वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो । 4) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हों । 5) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी नहीं होना चाहिए ।	